

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 12-43/2013/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—रिट पिटीशन क्रमांक 4680/13 श्री नरेन्द्र सिंह पुनिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के निर्णय दिनांक 11-11-13 के पालन में—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 एवं 64 की विधिक प्रभावशीलता.

विषयांकित नियम के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के द्वारा याचिका क्रमांक 4680/2013 श्री एन. एस. पुनिया विरुद्ध भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11-11-2013 में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 एवं 64 की विधिक आधार पर चुनौती को अमान्य किया गया है.

2. उपर्युक्त विधिक स्थिति की ओर ध्यान इस आशय के साथ आकर्षित है कि भविष्य में संबंधित न्यायिक प्रकरणों में ऊपर वर्णित निर्णय को संबंधित प्रकरणों के पक्ष समर्थन में सम्मिलित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(मनीष रस्तोगी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.